

1874
27/3/08

D-57
31-3-08

क.स.16

DD (N.C.M.E)

24
27/3/08

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
कार्यालय विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
नई दिल्ली

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना ।

कृपया उपरोक्त विषय पर अनौपचारिक टिप्पणी सं० 10(12)/2005-एस एंड डी दिनांक 13.2.2008 का संदर्भ लें ।

2. इस तथ्य का कि क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं उद्योग (विनिर्माण) के अंतर्गत आती हैं, का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7(1) के प्रकाश में निरीक्षण किया गया और यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं अब सेवा उद्यम के रूप में वर्गीकृत होंगी ।

(पी०के० सिनहा)

उपनिदेशक, (सू०ल०म०उ० नीति)

निदेशक (श्री दीपक गोयल), एस एंड डी अनुभाग, कार्यालय विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), ए जी सी आर बिल्डिंग, नई दिल्ली

वि०आ०(सू०ल०म०उ०)औ०टि० सं० 14(1)/2008-एम एस एम ई नीति (भाग) दिनांक 28.2.2008

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव/सचिव(उद्योग)-सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।
2. आयुक्त/निदेशक (उद्योग)-सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।
3. निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान -सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।
-उपरोक्त सूचना को सभी संबंधितों को सूचित करने के अनुरोध के साथ ।

(पी०के० सिनहा)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राज० जयपुर - 05

क्र०प०उ०

क्रमांक : एफ 15 (1)आयु०उ०/पंजी.अनु./एमएसएमई-नीति/2008

दिनांक : 01-04-08

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त ।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त ।
3. मास्टर फाइल ।

उप निदेशक, उद्योग

38
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)
NEW DELHI

Subject: Information under RTI Act, 2005 - reg.

Please refer to U.O.No.10(12)/2005-S&D dated 13.2.2008 on the above subject.

2. The matter whether Information Technology and Information Technology Enabled Services are covered under industry (manufacturing) was examined in the light of section 7(1) of Micro, Small & Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 and it is clarified that Information Technology (IT) and Information Technology Enabled Services (ITES) activities shall now be classified as service enterprises.

(P.K. Sinha)
Deputy Director (MSME Pol.)

Director (Shri Deepak Goyal), S&D Division, O/o. the DC(MSME), AGCR Bldg.

DCMSME U.O. No. 14(1)/2008-MSME Pol.(Pt.) dated 28.2.2008

Copy for information to:

- | | |
|--|--|
| 1. Principal Secretary/Secretary(Industries)- All States/UTs | } with a request
to disseminate
the above information
to all concerned. |
| 2. Commissioner/Director(Industries)-All States/UTs | |
| 3. Director, MSMEDIs - All States/UTs | |

(P.K. Sinha)